प्रकरण

प्रकरणी आज रोजनामचा और मतदाता
में पेश हुआ। वादी के वकील व
पैरोकार सरकार नामक व्यक्तीगत
उपस्थित। वादी वकील
ने प्रार्थना पत्र नोट शीट अंकित
किया है। वादी का मुख्य वाद भी
डिक्री किया जा चुका है। वादी
का प्रार्थना पत्र नोट शीट के
अनुसार स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
फैसलशुदा होकर दफ्तर से कम हो
तथा शामिल मुख्य वाद हो।

Scanned by CamScanner